To Return HSVP Land to the Farmers

26 Sh. Deepak Mangla, MLA (Palwal):- (14/14/315)

a) Whether it is fact that Sector-12 was carved out in Palwal in the year 2011 but it has not been developed by the government so far and the old houses of the farmers have still been constructed therein; and

b) If so, whether there is any proposal under consideration of the government to conduct the survey of the said sector again and return the said undeveloped area and the area in which houses of framers have been constructed to the farmers together with the time by which the said proposal is likely to be materialized?

REPLY

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER HARYANA

Sir,

a) Sector-12 was carved out in Palwal in the year 2011 and has been developed in month of August 2013 and floated in 2015.

b) No, Sir. There is no proposal under consideration to conduct survey of the Sector-12, Palwal again to return the entire land. However, in compliance of Hon'ble High Court orders in CWP no. 3809 of 2008 Sunita Malik & Ors Vs. State of Haryana & Ors. a survey is being conducted for structures existing prior to Section 4 of Land Acquisition Act-1894.

किसानो को ह0श0वि0प्रा0 की भूमि वापिस करने बारे

26 (14/14/315) श्री दीपक मंगला, एम०एल०ए० (पलवल) :–

क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2011 में पलवल में सैक्टर–12 बनाया गया था, लेकिन इसे अभी तक सरकार द्वारा विकसित नहीं किया गया है और किसानों के पुराने घर अभी भी निर्मित है; और

ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण कराने तथा उक्त अविकसित क्षेत्र जिस पर किसानों के मकान बने हुए हैं, को वापस करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा कब तक उक्त प्रस्ताव के साकार होने की संभावना है?

उत्तर

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा ।

श्रीमान् जी,

क) सैक्टर–12 ,पलवल को वर्ष 2011 में बनाया गया था और अगस्त 2013 में विकसित किया गया और 2015 में फ्लौट किया गया था।

ख) नहीं, श्रीमान् जी, सैक्टर–12, पलवल की पूरी जमीन वापिस करने के लिए फिर से सर्वे करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.पी नं0 3809 ऑफ 2008 "सुनीता मलिक एवं अन्य" में पारित आदेशों की अनुपालन में भूमि अधिग्रहण अधिनियम–1894 की धारा 4 से पहले निर्मित भवनों का ही सर्वे किया जा रहा है।